न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,भरतपुर

प्रा.पत्र / सरफेसी / 32 / 2024

बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा बयाना जिला भरतपुर राज0 जरिये प्राधिकृत अधिकारी

...प्रार्थी / प्रतिभूति लेनदार

बनाम

श्री रामरतन सिंह पुत्र श्री धरम सिंह, भगवती कॉलोनी, कस्बा बयाना, तहसील बयाना जिला भरतपुर

अप्रार्थी / ऋणी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रीकनस्ट्रक्शन ऑफ फाइनान्शियल एसेटस एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ इन्टरस्ट एक्ट 2002 एतद् पश्चात एक्ट से संबोधित किया गया है बंधक सम्पत्ति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।

आदेश **दिनांक 30.8.2024**

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थी0 अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूतिकरण प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत विरुद्ध अप्रार्थी0 ऋणी से बंधक सम्पति का कब्जा दिलाये जाने प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अप्रार्थी ऋण खाता संख्या 25470600001859 में दिनांक 15.3.2019 को राशि रू. 27.20 लाख रुपये एवं ऋण खाता संख्या 25470600001870 में दिनांक 1.4.2019 को 2.75 लाख रुपये की दोनों खाता में कुल 29.95 लाख रुपये की सुविधा ली थी। उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थी0 ने सर्वे न. 746, 747, 748 भगवती कॉलोनी, कस्बा बयाना तहसील बयाना जिला भरतपुर स्थित आवासी सम्पत्ति क्षेत्रफल 299.92 वर्ग गज को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था। अप्रार्थी0 द्वारा ऋण राशि एवं ब्याज राशि को समय अवधि में जमा नही कराई गई, जिसके कारण अप्रार्थी / ऋणी के खाता को दिनांक 28.2.2024 को एन.पी.ए. (अनर्जक परिसंपत्ति) घोषित कर दिये गये। अप्रार्थी / ऋणी के दोनों खातों में कुल 2829434.62 / – रुपये दिनांक 19.3.2024 तक ब्याज शामिल करते हुए तथा इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चे बकाया निकलते हैं।

प्रार्थी बैंक द्वारा बकाया ऋण राशि मय ब्याज एवं अन्य खर्चे, कुल बकाया राशि रू. 2829434.62 / – रुपये को जमा कराये जाने हेतु एक्ट की धारा 13 (2) का रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 20.3.2024 को जारी किया गया और उनसे आग्रह किया गया कि वह इस नोटिस की प्राप्ती के 60 दिवस के अन्दर समस्त बकाया रकम को मय ब्याज अदा करें। किन्तु अप्रार्थी0 द्वारा निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी कोई राशि जमा नहीं की गई है। बैंक द्वारा ऋण राशि एवं देय ब्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बावजूद भी ऋणी द्वारा

............2

जिला कलक्टर
भरतपुर

प्रा.पत्र/ सरफेसी/32/2024
बैंक आफ बडौदा बयाना बनाम रामरतनसिंह

ऋण राशि अदायगी नहीं की गई है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ऋण सुविधा प्राप्त करते समय बन्धक रखी गई उपर्युक्त सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिये पुलिस की सहायता उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की गई है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण ने उक्त प्राप्त सुविधा के ऐवज में अपनी उपर्युक्त सम्पत्ति को प्रार्थी के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था। प्रार्थी बैंक द्वारा एक्ट की धारा– 13(2) का नोटिस रजिस्टर्ड दिनांक 20.3.2024 अप्रार्थी० को बकाया ऋण अदायगी हेतु जारी किया गया, उक्त नोटिस की निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी अप्रार्थीगण द्वारा राशि जमा नहीं की गई हैं। बैंक द्वारा ऋण राशि एवं देय ब्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के वावजूद भी अप्रार्थी ऋणी द्वारा ऋण राशि अदायगी नहीं की गई है। बैंक के द्वारा वसूली हेतु सभी तरह के प्रयास के वावजूद राशि नहीं चुकाने पर अन्तिम रुप से उक्त एक्ट की धारा 14 के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अप्रार्थी०/ऋणी के द्वारा ऋण सुविधा लेते समय वन्धक रखी गई उपर्युक्त अचल सम्पति का कब्जा प्राप्त करने के लिये पुलिस सहायता हेतु निर्देश किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

अतः उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थी० द्वारा प्रार्थी बैंक से ऋण सुविधा लेते समय उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थी० अप्रार्थी० ने सर्वे न. 746, 747, 748 भगवती कॉलोनी, कस्बा बयाना तहसील बयाना जिला भरतपुर स्थित आवासी सम्पत्ति क्षेत्रफल 299.92 वर्ग गज को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था। उसका भैातिक कब्जा लेने हेतु प्रार्थी बैंक को जरिये प्रतिनिधि अधिकृत किया जाता है। निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जावे।

(डॉ0 अमित यादव)
जिला कलक्टर
भरतपुर